न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2023

बउनवान

बनवारीलाल पुत्र छीतरलाल जाति बैरवा, निवासी ग्राम चांदपुरा हाल नापाहेड़ा तहसील दीगोद, जिला कोटा **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां (राज0) **(रेंस्पोडेंट)**

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

बनाराजगी आदेश दिनांक 13.01.2021 व नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 14.01.2021

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2021 व उक्त आदेश की पालना में खुला नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 14.01.2021 न्याय कानून एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र स्वंय के खातेदारी की ग्राम चांदपुरा की आराजी खसरा नंबर 334/70 रकबा 0.51 है. पर डेयरी फार्म विकसित करने के लिये भूरूपान्तरण हेतु प्रस्तुत किया था जिसकी प्रकिया में अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आराजी में से 0.38 है. पर डेयरी फार्म तथा 0.13 है. आराजी में उक्त डेयरी फार्म में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता बताई तथा अपीलांट से अपने खाते की आराजी में से 0.13 है. आराजी का समर्पण करवा लिया तथा इसके पश्चात एन.एच.ए.आई. से अनापत्ति की मांग की तथा अपीलांट की आराजी में से 0.13 है. को सिवायचक दर्ज कर दिया। अपीलांट अल्पसाक्षर होने से संपरिवर्तन की जटिल प्रकियाओं को नहीं समझ पाने के कारण खाते की आराजी में से 0.13 है. को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि संपूर्ण आराजी में आने जाने के लिए अपीलांट के खाते में ही रास्ता दर्ज किया जाना चाहिये था इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व आदेश की पालना में खुले नामान्तकरण संख्या 295 अपीलांट के हितों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.01.2021 व नामान्तकरण संख्या 295 दिनांक 14.01.2021 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने स्वंय के खातेदारी की ग्राम चांदपुरा की आराजी खसरा नंबर 334/70 रकबा 0.51 है. पर डेयरी फार्म विकसित करने के लिये भूरूपान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसकी प्रकिया में अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त आराजी में से 0.38 है. पर डेयरी फार्म तथा 0.13 है. आराजी में उक्त डेयरी फार्म में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता बताई तथा अपीलांट से अपने खाते की आराजी में से 0.13 है. आराजी का समर्पण करवाकर उक्त आराजी सिवायचक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

दर्ज कर दी। उक्त डेयरी फार्म हेतु भूमि का संपरिवर्तन भी नहीं हुआ ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा समर्पित की गई 0.13 है. का नामान्तकरण नहीं फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अभिभाषक अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट ने डेयरी फार्म स्थापित करने हेतु अपने खाते की आराजी में से भूमि संपरिवर्तन कराये जाने हेतु रास्ते की भूमि का समर्पण किया था, चूंकि अपीलांट के खाते की भूमि का डेयरी फार्म प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलांट के खाते की समर्पित आराजी वापस अपीलांट को दी जानी चाहिये। परन्तु इस हेतु अपीलांट ने वक्त समर्पण ऐसी कोई शर्त ना तो आवेदन में अंकित की तथा ना ही समर्पणनामा में अंकित की है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस उभय पक्ष पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हम पेरोकार सरकार के इस कथन से सहमत हैं कि अपीलांट को भूमि संपरिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अथवा समर्पणनामा के समय यह स्पष्ट अंकित करना चाहिये था कि यदि भूमि का संपरिवर्तन नियमानुसार ना हो पावे तो समर्पण पश्चात राजहक में दर्ज आराजी वापस अपीलांट के खाते दर्ज की जावे। अपीलांट द्वारा पत्रावली में कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसके द्वारा वक्त आवेदन भूमि सशर्त समर्पित की हो, अथवा ना ही समर्पणनामा के समय अंकित किया कि यदि भूमि का सपरिर्वतन ना हो सके तो समर्पित आराजी वापस अपीलांट की खातेदारी में दर्ज की जावे। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.06.19 12:34:33 IST
Reason: SelfAttested